कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/2021/1561 लखनऊ:दिनांक:– 19 जुलाई 2021

नीट पी0जी0–2018 के डिग्री तथा नीट पी0जी0–2019 के डिप्लोमा पाठ्यकम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सीनियर रेजीडेण्ट के पद पर अनिवार्य शासकीय बाण्ड हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 07.03.20218 में निहित व्यवस्था के अनुसार सेवायोजित किये जाने के संबंध मे।

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यकमों (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा /एम0डी0एस0) को सीनियर रेजीडेण्ट के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु समय–सारणी निम्नवत् है:–

एनेस्थीसियॉ, मेडिसिन, आर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, ई0एन0टी0, आप्थलमोलॉजी, साइकेट्री, रेडियोडायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, स्किन एण्ड वी0डी0, सर्जरी, टी0बी0 एण्ड चेस्ट, विभाग से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कांउसिलिंग	22 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 10:30 बजे से सीटें उपलब्ध रहने तक।
शेष क्लीनिकल विशिष्टतायें (प्री एवं पैराक्लीनिकल विशिष्टता को छोडकर) तथा नीट पी0जी0 2019 डिप्लोमा से प्रवेशित अभ्यर्थियों तथा नीट एम0डी0एस0 2018 से प्रवेशित अभ्यर्थियों की कांउसिलिंग	23 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 10:30 बजे से सीटें उपलब्ध रहने तक।

- कांउसिलिंग का आयोजन ***"के0जी0एम0यू0 लखनऊ के कलाम सेंटर "*** में किया जायेगा। अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग स्थल पर रिपोर्टिंग का समय प्रातः 10:30 बजे निर्धारित है।
- सीनियर रेजीडेण्ट की रिक्त सीटों का आवंटन यू0पी0 नीट पी0जी0 हेतु जारी शासनादेश 2018/ब्रोशर नीट पी0जी0 2018 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर किया जायेगा।
- सीटों का आवंटन मेडिकल कालेजों में रिक्त सीटों के सापेक्ष ऑल इण्डिया रैंक, श्रेणी, विकल्प के आधार पर किया जायेगा।
- अभ्यर्थी को नीट पी0जी0 2018 का स्कोर कार्ड जिसमें अभ्यर्थी की ऑल इण्डिया रैंक उल्लिखित हो के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- नीट पी0जी0– 2018 (डिग्री) एवं 2019 (डिप्लोमा) से प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची मूल कालेज में सेवायोजन के पश्चात् शेष अभ्यर्थियों की सूची ऑल इण्डिया रैंक के अनुसार होगी।
- जिन अभ्यर्थियों का सेवायोजन मेडिकल कालेजों में नही हो पाता ऐसे अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित की जायेगी, ऐसे अभ्यर्थियों का सेवायोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा। सेवायोजित न किये जाने की दशा मे अनिवार्य शासकीय बाण्ड के तहत निर्गत शासनादेश दिनांक 07 मार्च 2018 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी का उच्चतर पाठ्यकम हेतु नियमानुसार चयनित हो जाता है तो तद्नुसार उसके द्वारा किये गये अनुबंध के कम में बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेज आवंटन होने के पश्चात् संबंधित मेडिकल कालेजों में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, रिपोर्टिंग की तिथि से ही सेवा काल का निर्धारण किया जायेगा।
- सीनियर रेजीडेन्सी हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–6469 सेक–14/पॉच–250 82 दिनांक 12.10.1990 में निहित व्यवस्था के अनुसार ही सुविधायें अनुमन्य होगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी को राजकीय/केन्द्रीय सेवाओं में सेवायोजन हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को शासन से अनुमति प्रदान करने के पश्चात् ही कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
- आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत प्रपत्र पर ही मान्य होगा, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- ऑल इण्डिया कोटा से प्रवेशित अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ तभी देय होगा जब उनके द्वारा उ0प्र0 राज्य द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किये जायेंगे।

यदि कोई अभ्यर्थी किसी उपरोक्त काउसिलिंग में अपरिहार्य परिस्थिति में स्वंय उपस्थित होने में अस्मर्थ है तो उस स्थिति में अपने अधिकृत प्रतिनिधि, जिसे प्रधानाचार्य के माध्यम से महानिदेशालय को दिनांक–21 जुलाई, 2021 तक सूचित कर प्रतिभाग कर सकते हैं। उसके पश्चात अनुपस्थित अभ्यर्थी के प्रतिनिधि उक्त काउसिंलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकेगें। ऐसे अभ्यर्थी एवं अन्य अनुपस्थित अभ्यर्थियों का तैनाती स्थल का निर्धारण गठित बोर्ड द्वारा किया जायेगा, जोकि अन्तिम होगा।

- कांउसिलिंग प्रकिया क्लीनिकल विभागों में सीनियर रेजीडेण्ट के रिक्त पदों के सापेक्ष की जा रही है। प्री एवं पैरा नॉन–क्लीनिकल विभागों की सीटों पर सेवायोजन के संबंध में निर्णय बाद में लिया जायेगा।
- समस्त सूचनाएं विभागीय वेब–साईट ***www.dgmeup.in*** पर प्रदर्शित की जायेगी तथा किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं दी जाएगी।

महानिदेशक

संख्या–एम0ई0–3 / 2020 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4
4. रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0, लखनऊ / उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ, मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र आगरा, तथा प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, स्वशासी मेडिकल कालेज, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।
5. डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।
6. नाजिर चिकित्सा शिक्षा को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्तानुसार निर्धारित तिथियों में के0जी0एम0यू0 लखनऊ के कलाम सेन्टर में आवश्यक व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. शिविर सहायक, महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

(सौरभ बाबू)
महानिदेशक